प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 16 जनवरी, 2018

विषय: जिलाधिकारी, बरेली के निवर्तन पर रखी धनराशि से जनपद बरेली में सिविल एन्क्लेव के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि के क्रय हेतु प्रशासकीय अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, बरेली को सम्बोधित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पत्र संख्या-ए0ए0आई0/01/2017/यू0पी0/जी0/2017-ए0आर0-।। (पी0) दिनांक 01 नवम्बर, 2017 के साथ मानचित्र (प्रतिलिपि संलग्न) संलग्न करते हुए यह अनुरोध किया गया है कि बरेली सिविल एन्क्लेव के निर्माण हेतु गाटा संख्या-511 की 1932 वर्ग मीटर एवं गाटा संख्या-492 की 1353 वर्ग मीटर भूमि के दो टुकड़े अतिरिक्त भूमि के रूप में क्रय करके राज्य सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाए।

2- जिलाधिकारी, बरेली द्वारा पत्र संख्या-42/2017/आठ-वि0भू0अ0अ0(सं0स0), बरेली-2017 दिनांक 13 नवम्बर, 2017 में उक्त भूमि के क्रय पर होने वाला व्यय रूपए 2,20,52,000/- (रूपए दो करोड़ बीस लाख बावन हजार मात्र) आकलित किया गया है। यह भी बताया गया है कि बरेली सिविल एन्क्लेव के निर्माण हेतु भूमि क्रय हेतु जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई गई धनराशि रूपए 60,88,73,500/- (साठ करोड़ अट्ठासी लाख तिहत्तर हजार पांच सौ मात्र) में से रूपए 2,27,59,594/- (दो करोड़ सत्ताइस लाख उनसठ हजार पांच सौ चौरानवे मात्र) की धनराशि जिला प्रशासन के पास अवशेष बची है जिसका उपयोग अतिरिक्त भूमि के प्रश्नगत दो टुकड़े हेतु किया जा सकता है।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अपने पत्रांक-809/ना0उ0नि0/2017 दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 द्वारा जिलाधिकारी, बरेली के उक्त पत्र दिनांक 17 नवम्बर, 2013 के सन्दर्भ में अतिरिक्त भूमि के रूप में भूमि के उक्त दो टुकड़े में क्रय हेतु प्रशासकीय अनुमोदन का अनुरोध किया गया है।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- प्रश्नगत बिन्दु पर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 05 जनवरी, 2018 में यह विचार किया गया और यह निर्देश प्राप्त हुए कि एतदविषयक कार्यवाही प्रशस्त की जाए।

5- उपर्युक्त विषयक निदेशक, नागरिक उड्डयन के उक्त पत्र दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 के सन्दर्भ में एवं जनपद बरेली में सिविल एन्क्लेव के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिए प्रदत्त प्रशासकीय अनुमोदन विषयक शासनादेश संख्या-63/2015/1031/छप्पन-2015-100/13 दिनांक 30 जुलाई, 2015 एवं अनुवर्ती शासनादेश संख्या-78/2016/1075/छप्पन-2016-100/13 दिनांक 29 सितम्बर, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बरेली सिविल एन्क्लेव के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिए जिलाधिकारी, बरेली के निवर्तन पर रखी गई धनराशि रूपए 60,88,73,500/- (साठ करोड़ अट्ठासी लाख तिहत्तर हजार पांच सौ मात्र) में से जिला प्रशासन के पास अवशेष बची हुई धनराशि रूपए 2,27,59,594/- (दो करोड़ सत्ताइस लाख उनसठ हजार पांच सौ चौरानवे मात्र) का उपयोग करते हुए गाटा संख्या-511 की 1932 वर्ग मीटर एवं गाटा संख्या-492 की 1353 वर्ग मीटर भूमि के दो टुकड़े, जिसका मूल्य जिला प्रशासन द्वारा रूपए 2,20,52,000/- (रूपए दो करोड़ बीस लाख बावन हजार मात्र) आकलित किया गया है, क्रय करके उक्त अतिरिक्त भूमि नि:शुल्क एवं भारमुक्त रूप में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को यथाशीघ्र उपलब्ध कराए जाने के लिए श्री राज्यपाल प्रशासकीय अनुमोदन सहर्ष प्रदान करते है।

6- कृपया भूमि के क्रय हेतु अपेक्षित अग्रेतर नियमानुसार कार्यवाही जिलाधिकारी, बरेली से शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न कराने का कष्ट करें ताकि सिविल एन्क्लेव का समयबद्ध निर्माण सम्पन्न कराए जा सके।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-04/2018/02/छप्पन-2018 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
3- जिलाधिकारी, बरेली।
4- वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग-7
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in